न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आरएएस

वाद पत्र संख्या 77/2021

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बलतेज सिंह पुत्र श्री जगनन्दन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. जशनप्रीत सिंह पुत्र श्री जगनन्दन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

— वादीगण

बनाम

1. जगनन्दन सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती गुरपाल कौर पत्नी श्री जगनन्दन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती अमरजीत कौर पुत्री श्री जगनन्दन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
5. शाखा प्रबन्धक, एच डी एफ सी बैंक लि0 शाखा श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा (वादीगण)
अधिवक्ता श्री रोविन कुमार गुप्चर (प्रतिवादी–1 ता 3)
पैरोकार राज (प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04.03.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 का पिता तथा 2 का दादा, प्रतिवादीया संख्या 2 वादी संख्या 1 की माता तथा 2 की, दादी तथा प्रतिवादीया संख्या 3 वादी संख्या 1 की बहिन तथा 2 की भुआ है। वादीगण संख्या 1 के पिता व 2 के दादा प्रतिवादी संख्या 1 जगनन्दन सिंह के नाम से वाके चक 2 एल एन पी पटवार हल्का चक महाराजका भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र चक महाराज का तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 46/34 (मुताबिक जमावन्दी सम्वत 2072–2075) का मुरब्बा नम्बर 57 की कुल 3.037 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात गाल है। नकल जमावन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। मगर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 उक्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नही लेना चाहती हैं तथा उन्होने अपने हक का परित्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है। यह कि चूंकि उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक वा हिस्सा बनता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पैतृक भूमि का मौखिक रूप से घरू बंटवारा करके वादीगण को उनके हक वा हिस्सा की भूमि दी हुई है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण को किला नम्बर 14 से 18 (प्रत्येक 0.253), 23 ता 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्तशुदा है। जिस पर वादीगण अपने अपने हिस्सा अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिसकी वादगी वाद्य से वर्जित चले आ रहे हैं तथा काश्त करते आ रहे हैं तथा मौके पर वादीगण की काश्त रही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण से कहा हुआ है कि वाद की भूमि बाबत्, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा मुझ जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अलग मसावत करवा देवे, वादी के प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 11.02.2021 को वादीगण की मांग को मानने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादीगण को पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण वादीगण को प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 4, बैंक से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, परन्तु बैंक के पास रहन होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र मुताबिक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:

(1) यह कि पैतृक भूमि, चक 2 एल एन पी पटवार हल्का चक महाराजका भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 46/34 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2076) का मुरब्बा नम्बर 67 की कुल 3.037 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर, 14 से 18 (प्रत्येक 0.253), 23 व 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.024 हैक्टेयर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे।

(2) यह कि डिक्री खाता विभाजन की जारी की जाकर वाद पत्र की वादीगण के हक या हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से निशानदेही दर्ज करवाई जावे तथा अलग खाता–खतौनी किया जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा दिनांक 16.02.2021 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष एवं हितैषी पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:–

1. चक 2 एल एन पी पटवार हल्का चक महाराजका भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र चकमहाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 46/34 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2076) का मुरब्बा नम्बर 67 की कुल 3.037 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर 14 से 18 (प्रत्येक 0.253), 23 व 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.024 हैक्टेयर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर लगान अदा करने का आदेश फरमाया जावे।

2. यह कि पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद पत्र का निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज ना होगा। 3. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 अपनी स्वेच्छा से, प्राकृतिक स्नेहवश उक्त पैतृक भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है, तथा अपने हक या हिस्सा का परित्याग करती है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से रपोर्ट बावत पेश हुआ।

पत्रावली सूची नं. 1 पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का मुख्तियारनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त पारिवारिक पत्रावली में पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 2 एलएनपी, पटवार हल्का चकमहाराजका भू.अ.नि. क्षेत्र चकमहाराजका खाता संख्या 46/34, वादी द्वारा निवास स्थान के रूप में जमाबंदी चक 2 एलएनपी, पटवार हल्का चकमहाराजका भू.अ.नि. श्रीगंगानगर खाता संख्या 100/2 की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश कीं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी

संख्या 3 का कार्यालय ग्राम पंचायत चक महाराजका का प्रमाण पत्र पेश किया। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

:: आदेश ::

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को चक 2 एल एन पी पटवार हल्का चक महाराजका भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र चकमहाराज का तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 46/34 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072-2075) का मुरब्बा नम्बर 57 की कुल 3.037 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर 14 से 18 (प्रत्येक 0.253), 23 ता 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर मूल भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04.03.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर